न्यायालय : राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

(टेबल सम्मत मुरैना से संबंधित)

प्र.क्र. निग. 47–तीन/10

रिव्हू–1295–I/12

खारजा तारीख–18.08.11

श्री ए. आर. खेडकर, अभि०
द्वारा आज दि. 9-5-12 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मोहम्मद रमजान पुत्र तुफैल मोहम्मद
निवासी–छार बाग, श्योपुर म.प्र.––**प्रार्थी**

ब ना म्

मु. जमीला तलाकशुदा बेबा तुफैल
मोहम्मद, निवासी–दशहरा मैदान वार्ड
नंबर–4, गंगापुर सिटी, जिला सवाई
माधोपुर राजस्थान –– **प्रतिप्रार्थी**

रिव्हयू अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकी–18.08.11 जो राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्र.क्र.–निगरानी 47–तीन/10 में दिनांक–18.08.11 को पारित किया उससे दुःखित होकर ।

माननीय न्यायालय,

प्रार्थी रमजान की ओर से निम्न प्रकार रिव्हयू पिटीशन प्रस्तुत है :–

1– यहकि, प्रार्थी मोहम्मद रमजान द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्र.क्र 226/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक–07.01.10 के विरूद्ध निगरानी माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर में प्रस्तुत की जो प्र.क्र. निगरानी 47–तीन/10 पर दर्ज की गई तथा उसमें दिनांक–18.08.11 को उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हुतो जाने से प्रकरण क्र. निगरानी 47–तीन/10 को समाप्त किये जाने का आदेश पारित किया गाया है उक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालयों के प्रार्थी द्वारा सन् 2010–2011 के खसरे–पत्र में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु कार्यवाही की गई जिसके संबंध में प्रार्थी को निर्देशित किया गाया कि अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के आदेश दिनांकी–07.01.10 जो प्र.क्र. 226/2008–09 अपील में पारित किया गया है उसे निरस्त किये जाने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकी–18.08.11 में उल्लेख नहीं किया गया है फलतः मौजूदा रिव्हयू प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सी.एस.अग्रवाल शपथ आयुक्त ग्वालियर 389 9.5.12

2– यहकि, प्रार्थी द्वारा धारा–5 अवधि विधान का प्रार्थना–पत्र रिव्हयू प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु साथ में प्रस्तुत कर संलग्न किया है।

केस 1294-I/12 इश्तहार (9)

तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-7-15	आवेदक पक्ष द्वारा कथित की मूल प्रकरण राजस्व में उपलब्ध नहीं। प्रकरण कार्यवाही हेतु। पे.दि. 20-8-15 (हस्ताक्षर) तहसीलदार	2018
20-8-15	आवेदक अधि. श्री जी. आर. एस.आर. उप./ मूल प्रकरण राजस्व में उपलब्ध नहीं। पे. दि. 6-10-15 (हस्ताक्षर) तहसीलदार	6/10; मूल प्रकरण संलग्न R.47-B/10
6-10-15	आवेदक अधि. श्री जी. आर. एस.आर. उप. नहीं। मूल प्रकरण संलग्न है। प्रकरण कार्यवाही हेतु। पे. दि. 18-11-15 (हस्ताक्षर) तहसीलदार	
18-11-15	आवेदक व उनके साक्षी को तीन बार पुकार लगाई गई परन्तु कोई भी उप. नहीं हुआ। विगत पेशी पर भी आवेदक उप. नहीं हुआ था अतः स्पष्ट है कि आवेदक को प्रकरण में कोई रुचि नहीं है अतः प्रकरण रुचि के अभाव में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पश्चात् जरूरी कार्यवाही आर्डर रूम वापिस किया जावे (हस्ताक्षर) तहसीलदार	

शाक्षेमुग्वा—60—फॉर्म्स—3-5-11—10,000 प्रपत्र